अनुसूची–14 फर्म सं0–563

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,गुमला

सुषमा निलम सोरेंग,

विविध वाद संख्या – 01/2019–20

बृजमोहन साव .... अपीलार्थी

बनाम

झारखंड सरकार .... प्रतिवादी

आदेश

अंचल अधिकारी, गुमला के अपने पत्रांक – 290 दिनांक – 09.03.2019 द्वारा बृजमोहन साव के आवेदन के आलोक में विविध वाद संख्या – 58/2017–18 प्रारम्भ किया गया तथा मूल रूप में अभिलेख अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक की कायमी भूमि पंजी – II में प्रविष्ट फटे होने के कारण राजस्व कर्मचारी द्वारा रसीद नहीं काटे जाने से संबंधित है।

भूमि का विवरण

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा
बजार टांड गुमला	428/279	290	0.01 एकड़
		288	0.03 एकड़
		कुल रकबा	**0.04 एकड़**

(५)

अंचल अधिकारी, गुमला से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि कायम जमाबंदी रजिस्टर का पन्ना फट गया है। राजस्व कर्मचारी द्वारा आवेदक के आवेदनानुसार नया पन्ना आवंटित कर इंदराज करने हेतु अनुमति की मांग की गई है।

अंचल अधिकारी द्वारा विविध वाद प्रारम्भ किया जाना विधिनुकुल है किन्तु स्वंय सक्षम होने के बावजूद अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला को भेजा गया है। जिसका औचित्य नहीं जान पड़ता है।

निष्कर्ष :– उपरोक्त परिस्थिति में प्रश्नगत मामलें पर नियमानुकुल प्रारम्भ किया गया वाद पर नियामानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अभिलेख वापस की जाती है।

लेखापित

13/3/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गुमला।

13/3/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गुमला।